



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र – (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: [dforkt@yahoo.co.in](mailto:dforkt@yahoo.co.in)

पत्रांक- 3376

/ रेनुकूट / 15-276

दिनांक, रेनुकूट, मार्च, 04,

2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र  
मीरजापुर ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला(कटोधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के०वी० विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण में प्रभावित 16.8912 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 819 वृक्षों के पातन की अनुमति दिये जाने के संबंध में ।  
(ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/151920/2022)

संदर्भ:- 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०४/१०९/२०२३/ एफ०सी० /४९६ दिनांक- ०१.०२.२०२४  
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 1959/११-सी- FP/UP/TRANS/151920/2022 दिनांक-०७.०२.२०२४

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- ०१.०२.२०२४ द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना /अभिलेख निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

| क्र० सं० | भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०४/१०९/२०२३/ एफ०सी० /४९६ दिनांक- ०१.०२.२०२४ में अंकित बिन्दु । | अनुपालन आख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | DFO needs to re-inspect the area proposed for CA and submit the report along with Geo tag Photograph of area proposed for CA                                            | प्रश्नगत प्रकरण में निम्न प्रकार अवगत कराना है :-<br>1- विषयगत प्रस्ताव में पूर्व में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र सायल वन ब्लॉक को भारत सरकार द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर प्रभाग के अन्तर्गत म्योरपुर रेंज में चेरी वन ब्लॉक में सकल क्षेत्रफल 102 हे० तथा शुद्ध क्षेत्रफल 34.00 हे० चयनित किया गया है । चयनित क्षेत्र वनीकरण हेतु पूर्णतया उपयुक्त है । चयनित क्षेत्र के उपयुक्त होने संबंधी उपयुक्तता प्रमाण पत्र, टोपोशीट एवं जियो रेफरेंस मानचित्र परिवेश पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करा दिया गया है ।<br>2- विषयगत प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु तैयार किये गये व्यय अनमान पत्र का माडल 10 हे० का तैयार किया गया है , किन्तु 34 हे० क्षेत्र पर वनीकरण हेतु आने वाले व्यय की धनराशि गोश्वारा के अन्त में आंकलन कराते हुए उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है । |
| 2        | CA Scheme is uploaded only for 10 ha . This needs rectification .                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3        | Reply of EDS dated 10.01.2024 needs to be submitted                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|  |                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3- उपरोक्तानुसार आपपतियो का निराकरण कराते हुए आवश्यक अभिलेख परिवेश पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करा दिया गया है । |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- 3376 अ/सम दिनांकित ।

- 1-प्रतिलिपि: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक-07.02.2024 के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 2-प्रतिलिपि: अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, 220 के०वी० उपकेन्द्र रावर्टसगंज-सोनभद्र को उनके पत्र दिनांक-22.02.2024 प्राप्त दिनांक- 23.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट